

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन शाखा
(अधिसूचना)

पत्रांक - 2222 /आर0, पटना, दिनांक - 10-09-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि अररिया जिला के फारबिसगंज अंचल, नगर पंचायत जोगबनी अन्तर्गत मौजा दक्षिण माहेश्वरी थाना नं0-175 में जोगबनी (भरत) से विराट नगर (नेपाल) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु बिहार, सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा-दक्षिण माहेश्वरी, थाना नं0-175 के भीतर भूमि के एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश रकवा 64.84.320 एकड़ (चौसठ एकड़ चौरासी डी0 तीन सौ बीस वर्गकड़ी) के बराबर है, जिसका प्लोट संख्या निम्नांकित है :-

| क्रमांक | खाता | खेसरा | रकवा |
|---------|------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 472 | 399 अंश | 0.07 |
| 2 | 472 | 400 अंश | 0.47 |
| 3 | 144 | 401 अंश | 0.30 |
| 4 | 412 | 402 अंश | 0.93 |
| 5 | 72 | 403 अंश | 0.03 |
| 6 | 470 | 404 अंश | 0.4.300 |
| 7 | 470 | 406 अंश | 0.09 |
| 8 | 470 | 409 अंश | 0.10 |
| 9 | 262 | 414 अंश | 0.3.700 |
| 10 | 262 | 416 अंश | 0.18.900 |
| 11 | 262 | 417 अंश | 0.20 |
| 12 | 262 | 418 पूर्ण | 0.23 |
| 13 | 262 | 419 अंश | 0.18.500 |
| 14 | 104 | 423 अंश | 0.37.500 |
| 15 | 470 | 424 अंश | 0.08 |
| 16 | 52 | 425 अंश | 0.2.352 |
| 17 | 52 | 428 अंश | 0.41.500 |
| 18 | 357 | 429 अंश | 0.25 |
| 19 | 396 | 430 पूर्ण | 0.02 |
| 20 | 396 | 431 अंश | 0.5.225 |
| 21 | 396 | 432 अंश | 0.1.600 |
| 22 | 63 | 443 अंश | 0.60.300 |
| 23 | 69 | 444 अंश | 0.1.300 |
| 24 | 426 | 446 अंश | 0.8.725 |
| 25 | 150 | 447 अंश | 0.00.400 |
| 26 | 150 | 448 अंश | 0.1.800 |
| 27 | 150 | 449 अंश | 0.00.200 |
| 28 | 150 | 450 अंश | 0.01 |
| 29 | 150 | 451 अंश | 0.07 |
| 30 | 150 | 452 अंश | 0.97 |
| 31 | 426 | 453 अंश | 0.04.550 |
| 32 | 426 | 454 अंश | 0.51 |
| 33 | 426 | 455 अंश | 0.6 |

| | | | | |
|----|-----|-----|-------|----------|
| 34 | 151 | 456 | अंश | 0.23 |
| 35 | 151 | 457 | अंश | 0.7.400 |
| 36 | 147 | 461 | अंश | 0.5.500 |
| 37 | 147 | 462 | अंश | 0.07 |
| 38 | 444 | 477 | अंश | 0.20 |
| 39 | 208 | 478 | अंश | 0.37 |
| 40 | 208 | 480 | अंश | 0.00.675 |
| 41 | 208 | 481 | अंश | 0.33 |
| 42 | 142 | 482 | अंश | 0.21 |
| 43 | 142 | 483 | पूर्ण | 0.74 |
| 44 | 470 | 484 | पूर्ण | 0.23 |
| 45 | 470 | 485 | अंश | 0.20 |
| 46 | 214 | 500 | अंश | 0.04 |
| 47 | 182 | 501 | अंश | 0.37 |
| 48 | 399 | 502 | पूर्ण | 0.06 |
| 49 | 202 | 503 | अंश | 0.53 |
| 50 | 399 | 504 | अंश | 0.20.100 |
| 51 | 214 | 505 | अंश | 0.64.400 |
| 52 | 145 | 506 | पूर्ण | 0.18 |
| 53 | 139 | 507 | पूर्ण | 0.40 |
| 54 | 203 | 508 | पूर्ण | 0.71 |
| 55 | 202 | 509 | पूर्ण | 0.04 |
| 56 | 152 | 510 | पूर्ण | 0.17 |
| 57 | 152 | 511 | अंश | 0.41 |
| 58 | 145 | 512 | पूर्ण | 0.18 |
| 59 | 35 | 513 | पूर्ण | 0.23 |
| 60 | 35 | 514 | पूर्ण | 0.18 |
| 61 | 145 | 515 | पूर्ण | 0.62 |
| 62 | 467 | 516 | पूर्ण | 0.13 |
| 63 | 467 | 517 | पूर्ण | 0.45 |
| 64 | 399 | 518 | पूर्ण | 0.65 |
| 65 | 402 | 519 | पूर्ण | 0.19 |
| 66 | 130 | 520 | अंश | 0.49.100 |
| 67 | 214 | 522 | अंश | 0.97.163 |
| 68 | 444 | 523 | पूर्ण | 0.32 |
| 69 | 19 | 524 | अंश | 0.68 |
| 70 | 208 | 525 | अंश | 0.67 |
| 71 | 203 | 544 | अंश | 1.45 |
| 72 | 214 | 545 | पूर्ण | 0.82 |
| 73 | 214 | 546 | अंश | 0.48 |
| 74 | 449 | 547 | अंश | 0.2 |
| 75 | 429 | 551 | अंश | 0.32.800 |
| 76 | 205 | 552 | अंश | 0.42 |
| 77 | 398 | 553 | पूर्ण | 0.56 |
| 78 | 403 | 554 | पूर्ण | 1.58 |
| 79 | 76 | 555 | अंश | 0.59 |
| 80 | 32 | 556 | अंश | 0.46.150 |
| 81 | 37 | 557 | अंश | 0.73.100 |
| 82 | 375 | 558 | पूर्ण | 0.29 |
| 83 | 305 | 559 | पूर्ण | 0.54 |
| 84 | 204 | 560 | पूर्ण | 0.49 |
| 85 | 286 | 561 | पूर्ण | 0.40 |

| | | | | |
|----------------------|-----|--------------|-------|-----------|
| 86 | 267 | 562 | अंश | 0.24.400 |
| 87 | 267 | 563 | अंश | 0.2 |
| 88 | 464 | 564 | अंश | 0.28.375 |
| 89 | 470 | 594 | अंश | 0.08.500 |
| 90 | 399 | 595 | अंश | 0.56.650 |
| 91 | 130 | 596 | अंश | 0.4 |
| 92 | 206 | 599 | अंश | 0.00.680 |
| 93 | 34 | 600 | अंश | 0.00.500 |
| 94 | 442 | 1487 | अंश | 0.70.100 |
| 95 | 204 | 1488 | पूर्ण | 0.40 |
| 96 | 286 | 1489 | पूर्ण | 0.39 |
| 97 | 153 | 1490 | अंश | 1.85 |
| 98 | 5 | 1491 | अंश | 0.58.150 |
| 99 | 161 | 1492 | अंश | 0.53 |
| 100 | 9 | 1584 | अंश | 0.22 |
| 101 | 260 | 1585 | पूर्ण | 1.14 |
| 102 | 95 | 1586 | पूर्ण | 0.39 |
| 103 | 8 | 1587 | अंश | 1.38 |
| 104 | 365 | 1588 | पूर्ण | 0.6 |
| 105 | 359 | 1589 | पूर्ण | 0.82 |
| 106 | 359 | 1590 | अंश | 0.61 |
| 107 | 259 | 1593 | अंश | 0.11 |
| 108 | 46 | 1594 | पूर्ण | 0.80 |
| 109 | 353 | 1595 | पूर्ण | 0.63 |
| 110 | 266 | 1596 | अंश | 0.25 |
| 111 | 237 | 1597 | पूर्ण | 1.18 |
| 112 | 290 | 1598 | पूर्ण | 1.19 |
| 113 | 390 | 1599 | अंश | 1.82 |
| 114 | 9 | 1600 | अंश | 0.14.300 |
| 115 | 260 | 1602 | अंश | 0.14.200 |
| 116 | 219 | 1603 | पूर्ण | 0.32 |
| 117 | 150 | 1604 | पूर्ण | 0.68 |
| 118 | 254 | 1605 | अंश | 0.9.100 |
| 119 | 254 | 1606 | अंश | 0.26 |
| 120 | 251 | 1611 | अंश | 0.15.225 |
| 121 | 462 | 1630 | अंश | 3.23 |
| 122 | 138 | 443 1674 | पूर्ण | 0.03 |
| 123 | 64 | 441 1675 | अंश | 0.00.500 |
| 124 | 462 | 1630 1689 | अंश | 0.95 |
| 124 1 | 462 | 1630 1689 | अंश | 3.18 |
| 125 | 167 | 1661 1688 | अंश | 0.92.400 |
| 126 | 346 | 1628 1692 | अंश | 3.80 |
| कुल अर्जनाधीन भूमि - | | | | 64.84.320 |

चौहददी : - उत्तर - खेसरा सं० 399, 400, 401, 425, 428, 429, 431, 446, 447, 450, 497, 501, 500, 503, 514, 505, 599, 600, 595, 596, 520, 547, 546, 552, 551, 564, 363

दक्षिण - खेसरा सं० 402, 403, 416, 417, 414, 419, 423, 461, 457, 554, 353, 482, 481, 480, 478, 477, 524, 525, 544, 556, 555, 557

पूरब - खेसरा सं० 557, 558, 1489, 1482 1487 इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट

पश्चिम - रेलवे (भारत सरकार)

यह अधिसूचना बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 04 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित है, उन सभी रैयतों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया और उनके कार्यालय में देखा जा सकेगा।


बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान में तत्समय अंचलाधिकारी, अररिया भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा-2 में तथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5(क) उपबंध लागू नहीं होंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

३/०

सरकार के ~~सू~~ सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।


समाहर्ता,
अररिया

- ज्ञापांक २२२२/भू-अर्जन, पटना दिनांक...-10-09-13.....
- प्रतिलिपि : निदेशक, जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप समाहर्ता, प्रभारी जिला गजट, अररिया समाहरणालय के जिला गजट के अलावे अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस-दस (10-10) प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : समाहर्ता, अररिया / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के ~~सू~~ सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।